न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

40/2023

श्री किशन लाल बैरवा, बी–415 महेश नगर टोंक फाटक जयपुर पिन 302015 राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **01.01.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 636 दिनाक 18.10.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौगाई (पीपलू) द्वारा किशन लाल बैरवा का सेवा निवृत्ति बाद शेष उपार्जित अवकाश भुगतान का बिल नम्बर 48013552 दिनांक 20.09.23 राशि 13,64,120/रू. कार्यालय उप कोषालय पीपलू (कोषालय टोंक) में प्राप्ति दिनांक की, सूचना उपलब्ध करावे।
2. क्रमांक 01 के उक्त बिल के पारित करने के दिनांक की सूचना उपलब्ध करावें।
3. क्रमांक 01 के उक्त बिल कोषालय से पारित उपरांत, ECS (बैंक में अंतरण) किशन लाल बैरवा के बैंक खाते में कितने दिन में कोषालय मैन्युअल या जिस आदेश अनुसार किया जायेगा, उस कोषालय मैन्युअल या आदेश की आप द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करावें।
4. बिल नम्बर 48013552 दिनांक 20.09.23 राशि 13,64,120/रू ECS (बैंक में अंतरण) नही करने के विधि सम्मत कारण जो रिकार्ड पर, उपलब्ध है, उसकी प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करावे ।
5. यदि बिल नम्बर 48013552 दिनांक 20.09.23 राशि 13,64,120/रू का ECS (बैंक में अंतरण) नही करने का कोई विधि सम्मत कारण रिकार्ड पर नही है, तो किशन लाल बैरवा के बैंक खाते में ECS (बैंक में अंतरण) नहीं करने के कारण की सूचना उपलब्ध करावे।
6. बिल नम्बर 48013552 दिनांक 20.09.23 राशि 13,64,120/ रू. का ECS (बैंक खाते में अंतरण) कब तक कर दिया जावेगा, सूचना उपलब्ध करावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1065 दिनांक 20.11.2023, 1091 दिनांक 30.11.2023 व 1150 दिनांक 11.12.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांकः 113 दिनांक 22.

कलेक्टर टोंक

12.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 304–305 दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलक्टर
टोंक